सूचना का अधिकार: आमजन का सशक्त हथियार

सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। अनुच्छेद 19(1) कहता है कि सभी नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा था कि जनता बिना जानकारी के कुछ नहीं कह सकती। इसलिए सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया। उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां जनता सबसे प्रमुख है और इस नाते उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी सरकार कैसे काम कर रही है। प्रत्येक नागरिक भले ही वह आयकर के दायरे में न आता हो, वस्तु व सेवा कर के रूप में कर का भुगतान करता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिक के अनुरोध के प्रति समयबद्ध प्रतिक्रिया को अनिवार्य बनाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल लक्ष्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और लोकतंत्र को सही मायनों में जनता के लिए कार्य करने हेतु तैयार करना है। अभिप्राय यह कि एक सुविज्ञ नागरिक को प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने व उसे नागरिकों के प्रति अधिक ज़िम्मेदार बनाने के लिए सूचनाओं से समर्थ बनाना ज़रूरी है। यह अधिनियम सरकार के क्रियाकलापों से नागरिकों को अवगत कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है और यह आरटीआई पोर्टल उनके लिए राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत सरकार के तहत विभिन्न जन अधिकारियों द्वारा वेब पर प्रस्तुत आरटीआई संबंधी सूचना/प्रकटीकरण के अलावा प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सूचना अधिकारी पीआईओ आदि के विवरणों से संबंधित सूचना की खोज की दिशा में गेटवे रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा प्रत्येक लोक अधिकारी सभी रिकॉर्ड्स की सॉफ्ट प्रति का अनुरक्षण इस रूप में करता है कि उसे देश भर में कहीं से भी नेटवर्क के ज़रिए एक्सेस किया जा सके और सूचना का अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना दी जा सके।

प्रत्येक लोक अधिकारी को नियमित अंतराल पर विभिन्न चैनलों (इंटरनेट समेत) के ज़रिए जनता को महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी चाहिए ताकि सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग कम से कम करना पड़े।

सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य स्तर पर उनके समकक्ष अधिकारी को अंग्रेज़ी या हिन्दी या संबंधित राज्य की राजभाषा में लिखित या इलेक्ट्रोनिक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। किसी भी आवेदक के लिए आवेदन हेतु संपर्क विवरण के अलावा, यदि अधिकारियों के लिए आवेदक को संपर्क करना ज़रूरी हो, कोई भी व्यक्तिगत सूचना देना अपेक्षित नहीं है।

सामान्य परिस्थितियों में मांगी गई सूचना मांगे गए प्रारूप में प्रदान की जाएगी- आदि नागरिक अपेक्षित सूचना ईमेल के ज़रिए मांगता है तो वह उसी ज़रिए दी जाएगी बशर्ते उससे मूल दस्तावेज़ को कोइ क्षति न हो।

प्राधिकारी ऐसी किसी भी सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं है जिससे देश की संप्रभुता व एकता खंडित होने की आशंका हो, जो किसी न्यायालय द्वारा दिया जाना मना हो, विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना व कैबिनेट पेपर्स आदि।

यहां आरटीआई अधिनियम से संबंधित बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न प्रस्तुत हैं:

यदि आरटीआई एक मौलिक अधिकार है तो इस अधिकार को देने के लिए अधिनियम की क्या आवश्यकता है?

क्योंकि यदि आप किसी भी सरकारी विभाग में गए हैं और वहां के अधिकारी से आपने कहा है "आरटीआई मेरा मौलिक अधिकार है और मैं इस देश का प्रमुख व्यक्ति हूं, इसलिए कृपया अपने सभी फाइल्स दिखाएं" वह अधिकारी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए हमें एक ऐसी प्रक्रिया/ऐसे प्रावधान की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हमें वह प्रक्रिया प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम हमें कोई नया अधिनियम नहीं देता। सामान्य तौर पर यह सूचना कैसे प्राप्त करना है, आवेदन कहां करना है, शुल्क की राशि क्या है आदि बताता है।

आरटीआई अधिनियम कब आया?

केन्द्रीय सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्तूबर 2005 से प्रभावी हुआ हालांकि इसके पूर्व 9 राज्य सरकारों ने राज्य अधिनियम पारित कर लिया था वे 9 राज्य जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम व गोवा थे।

आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत कौन से अधिकार मौजूद हैं?

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सभी नागरिकों को निम्नलिखित के लिए समर्थ बनाता है:

- सरकार से किसी भी तरह का सवाल करने या सूचना मांगने
- किसी भी सरकारी दस्तावेजों की प्रति लेने
- किसी भी सरकारी दस्तावेजों के निरीक्षण करने
- किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने
- किसी भी सरकारी कार्य की सामग्री का नमूना लेने

आरटीआई के दायरे में कौन?

केन्द्रीय आरटीआई अधिनियम जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है संविधान या किसी कानून या किसी सरकारी अधिसूचना के दायरे में गठित सभी निकाय या एनजीओ समेत सरकार के स्वामित्व, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित सभी निकाय हैं।

क्या निजी निकाय आरटीआई के दायरे में हैं?

सरकार के स्वामित्व, सरकार द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित सभी निजी निकाय प्रत्यक्षत: आरटीआई हैं। अन्य अप्रत्यक्ष रूप

से दायरे में हैं अर्थात, यदि कोई सरकारी विभाग किसी अन्य अधिनियम के तहत किसी निजी निकाय से सूचना प्राप्त कर सकता है, तो उसे नागरिक द्वारा उस सरकारी विभाग से आरटीआई अधिनियम के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

आरटीआई अधिनियम की राह में क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 बाधा नहीं है?

नहीं, आरटीआई अधिनियम की धारा 22 स्पष्टत: कहते ही कि आरटीआई अधिनियम सरकारी गोपनीयता अधिनियम समेत सभी मौजूदा अधिनियमों को अधिभावी करेगा।

क्या पीआईओ सूचना देने से इनकार कर सकता है?

पीआईओ आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में सूचीबद्ध 11 विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार कर सकता है। इनमें विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना, देश की सुरक्षा, रणनीतिगत, वैज्ञानिक या आर्थिक हित से संबंधित सूचना, विधान सभा के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सूचना शामिल हैं।

अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 18 एजेंसियों की सूची दी गई है, जिनपर आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होगा।

हालांकि, उन्हें भी सूचना देनी होगी यदि मामला मानवाधिकारों के उल्लंघन या कि भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित हो।

क्या अधिनियम आंशिक प्रकटीकरण प्रदान करता है?

हां, आरटीआई अधिनियम की धारा 10 के तहत इस अधिनियम से छूट प्राप्त मामले से इतर सूचना दी जा सकती है।

क्या फ़ाइल नोटिंग्स की सूचना नहीं दी जा सकती?

नहीं, फ़ाइल नोटिंग्स सरकारी फाइलों का अनिवार्य हिस्सा है और इस अधिनियम के तहत उनका प्रकटीकरण किया जाना है।

इसे केन्द्रीय सूचना आयोग के एक आदेश दिनांकित 31 जनवरी 2006 द्वारा स्पष्ट किया गया।

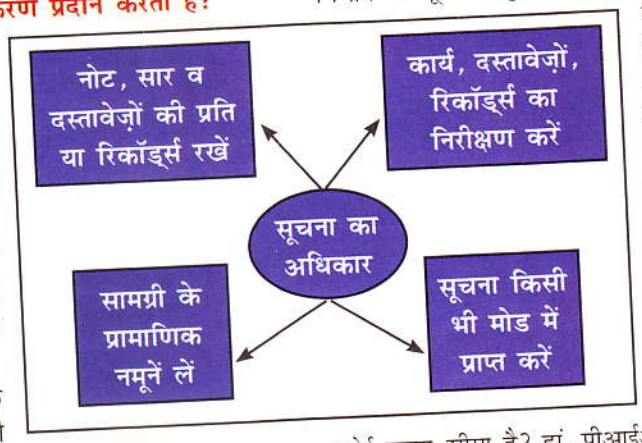

सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग कैसे किया जाए? पूरे अधिनियम को कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

पूरा अधिनियम हिन्दी और अंग्रेज़ी में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की वेबसाईट www.persmin.nic.in पर और आरटीआई की वेबसाईट http://righttoinformation.gov.in/rtiact.htm पर उपलब्ध है।

मुझे सूचना कौन देगा?

प्रत्येक सरकारी विभाग में एक या अधिक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में पदनामित किया जाता है। ये पीआईओ नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। आपको उनके समक्ष आवेदन देना है। वे विभाग के विभिन्न शाखाओं से आपके द्वारा मांगी गई सूचना जुटाने और आपको प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा कई अधिकारियों को सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्य जनता से आवेदन प्राप्त करना और उन्हें उपयुक्त पीआईओ को अग्रेषित करना है।

अपना आवेदन कहां प्रस्तुत करना है?

आप अपना आवेदन पीआईओ या एपीआईओ को प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी केंद्र सरकार के विभागों के मामले में 628 डाकघरों को एपीआईओ के रूप में पदनामित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि आप इनमें से किसी भी डाकघर में जा सकते हैं और इन डाकघरों के आरटीआई काउंटर पर अपना शुल्क व आवेदन जमा कर सकते हैं। वे आपको एक पावती ज़ारी करेंगे और यह उस डाकघर की ज़िम्मेदारी होगी कि वह इसे उपयुक्त पीआईओ को सौंपे। इन डाकघरों की सूची http://www.indiapost.gov.in/rtiannual16a.html पर दी गई है। यदि मैं अपने पीआईओ या एपीआईओ का पता न लगा पाऊं: यदि आपको अपने पीआईओ या एपीआईओ का पता लगाने में कठिनाई हो रही है तो आप अपना आरटीआई आवेदन पीआईओ द्वारा विभागाध्यक्ष को दे सकता है और इसे अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ संबंधित लोक अधिकारी को भेज सकता है। विभागाध्यक्ष को आपका आवेदन संबंधित पीआईओ को अग्रेषित करना है।

क्या मुझे अपना आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खुद जाना होगा?

भुगतान के मोड हेतु आपके राज्य के नियमों के आधार पर आप डीडी, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर या न्यायालय शुल्क स्टाम्प लगाकर डाक के ज़रिए अपने राज्य सरकार के संबंधित विभाग से सूचना हेतु आवेदन जमा कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए डाक विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर 629 डाकघरों को पदनामित किया है। इन डाकघरों में पदनामित अधिकारी सहायक पीआईओ के रूप में काम करेंगे और संबंधित पीआईओ को अग्रेषित करने के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे। सूची http://www.indiapost.gov.in/rticontents.html पर उपलब्ध है। क्या सूचना प्राप्त करने की कोई समय-सीमा है? हां, पीआईओ को आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।

यदि आपने अपना आवेदन सहायक पीआईओ को दिया है तो सूचना 35 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। यदि सूचना से संबंधित मसला किसी के जीवन व स्वतंत्रता को प्रभावित करता है तो सूचना 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

नवीनतम पहल

केंद्रीय सूचना आयोग (सीवीसी) ने घोषणा की है कि आरटीआई (सूचना के अधिकार) अधिनियम के तहत अपील/मामला दर्ज़ करने वाले नागरिक को उनके मामलों की स्थिति के बारे में वास्तविक समय अपडेट दिया जाएगा। ये अपडेट ईमेल या एसएमएस के ज़रिए भेजा जाएगा। नागरिक का कर्तव्य मत देना भर नहीं है और आरटीआई अधिनियम नागरिकों के लिए एक साथ आने और अधिक जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण जरिया है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों को सूचना प्राप्त हो और अनुवर्तन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कदम उठा रही है। ❑

(साभार: www.righttoinformation.org.in)